

न्यायालय उप तहसीलदार तहसील सिंधाना जिला झुन्झुनु

गुणनं०	किरम गु०	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
39/19	धारा 91	18.7.19	06.08.19

उनवान सरकार बनाम समनिवास पुत्र नोरन जाति गुर्जर नि० कुठानिया तहसील सुधाना जिला झुन्झुनु

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमी अनुपरिचित। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत् 2076 में इस आशय की रिपोर्ट परस्तुत की है कि ग्राम कुठानिया की राजकीय भूमि गै०गु० नाला ख०न० 234 खवा 0.50 किरम गै०गु० नाला मे से 0.01 है० भूमि पर अतिकमी समनिवास पुत्र नोरन जाति गुर्जर नि० कुठानिया ने अवैध रूप से ग्वार काश्त कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्क से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी अनुपरिचित।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मन्व किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो काविज नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है। व जैर वहरा रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये ग्वार की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण शुदा भूमि के लगान 0.07 की 50 गुणा जुर्माना राशि 4/- रु वतौर शारित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू०अ०नि०/पटवारी हल्क को वारते जमा कायमी/वेदखली/ वसुली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वारतविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तागिल दारिखल दफतर हो तथा नग्वर से कम होकर दर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

नायब तहसीलदार

सुनाया है कि पुत्र न ...  
06.08.19 पर से ...  
कायम है

1. वरुण सिन्हा